झारखण्ड

JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
T.A Division Building (Ground Floor) HEC Campus, Dhurwa, Ranchi- 834004.
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, Fax No:- 2400850..

पत्रांक.................... राँची, दिनांक.................

प्रेषक,

संजय कुमार सुमन,
सदस्य सचिव

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषयः **दूर्गापूजा 2016 के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण के संबंध में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में इस पर्षद से संबंधित संलग्न सूचना को निम्नलिखित स्थानीय समाचार पत्रों में जो **समस्त झारखण्ड** में पढ़ा जा सके, दर्शाये गये तिथि के अनुसार डी०ए०भी०पी० दर पर प्रकाशन कराया जाय। विज्ञापन सामग्री संलग्न की जा रही है ।

1. प्रभात खबर, **झारखण्ड** संस्करण	–	एक दिन प्रकाशन	तिथि **04.10.2016**
2. दैनिक जागरण, **झारखण्ड** संस्करण	–	एक दिन प्रकाशन	तिथि **04.10.2016**
3. हिन्दुस्तान, **झारखण्ड** संस्करण	–	एक दिन प्रकाशन	तिथि **04.10.2016**
4. दैनिक भास्कर, **झारखण्ड** संस्करण	–	एक दिन प्रकाशन	तिथि **04.10.2016**
5. टाईम्स ऑफ इण्डिया, **झारखण्ड** संस्करण	–	एक दिन प्रकाशन	तिथि **04.10.2016**
6. हिन्दुस्तान टाईम्स, **झारखण्ड** संस्करण	–	एक दिन प्रकाशन	तिथि **04.10.2016**
7. दि टेलीग्राफ, **झारखण्ड** संस्करण	–	एक दिन प्रकाशन	तिथि **04.10.2016**
8. दि पाईओनियर, **झारखण्ड** संस्करण	–	एक दिन प्रकाशन	तिथि **04.10.2016**

कृपया दर्शाये गये तिथि को (प्रथम एवं अंतिम पृष्ट को छोड़कर) न्यूनतम आकार में उपरोक्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् विज्ञापित सामग्रियों की दो दो प्रति विपत्र के साथ संलग्न कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें। विज्ञापन का भुगतान डी०ए०भी०पी० दर पर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

अनु0 यथोपरि।

(संजय कुमार सुमन)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक B-4020 राँची, दिनांक 3/10/16

प्रतिलिपिः लेखाशाखा, मुख्यालय राँची / वेवसाईट को विज्ञापन की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0विज्ञापन की प्रति।

(संजय कुमार सुमन)
सदस्य सचिव

झारखण्ड़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
T.A Division Building (Ground Floor) HEC Campus. Dhurwa. Ranchi- 834004.
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, Fax No:- 2400850..

दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नागरिकों से अपील

दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नदियों, तालाबों, इत्यादि को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दिल्ली द्वारा निरूपित **"मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा निर्देश"** जनहित में समस्त झारखण्ड वासियों के अनुपालन हेतु प्रकाशित किये जा रहे हैं :–

- **मूर्ति निर्माण** – मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस, पकाई गई मिट्टी इत्यादि का उपयोग न कर पारंपरिक मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए।
- **मूर्ति पेंटिग** – मूर्ति रंगने के लिए पानी में घुलनशील व विष–रहित प्राकृतिक रंजकों (dyes) का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। रंगाई में उपयोग किये जाने वाले विषैले रसायनों जिनका जैविक विधि से नाश नहीं किया जा सकता हो (Non-Bio-degradable), का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
- **मूर्ति विसर्जन** – (i) जल स्रोतों में मूर्ति विसर्जन से पूर्व कागज व प्लास्टिक से बने सजावट की सामग्री व पूजन सामग्री जैसे फूल आदि को हटा लेना चाहिए। जैविक क्रिया से नष्ट हो जाने वाली सामग्री (Bio-degradable) को अलग कर उनका उपयोग भू–भराई आदि कार्यो मे किया जाना चाहिए।
- मूर्ति विसर्जन स्थल का पूर्व से घेराबंदी कर उस स्थल के तल में सिन्थेटिक लाइनर का उपयोग किया जाना चाहिए।
- मूर्ति विसर्जन के पश्चात् 48 घंटे के भीतर सिन्थेटिक – लाइनर समेत मूर्ति के अवशेष आदि को हटा लिया जाना चाहिए। बांस एवं लकडी के टुकड़े आदि यदि कोई हो, का पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। मिट्टी आदि का निपटान भू–भराई में किया जाना चाहिए।
- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा आवेदन संख्या 65/2012 में दिये गये न्यायादेश के आलोक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा मूर्ति निर्माण एवं इसके विसर्जन हेतु जारी मार्गदर्शिका का पालन किया जाना है।

साथ हीं अनुरोध है कि **ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000** का अनुपालन करते हुए बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाय। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग दंडनीय है।

ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 में निर्धारित परिवेशीय ध्वनि स्तर जो निम्न प्रकार के हैं, उसका संरक्षण करना है :–

एरिया कोड	एरिया/जोन का श्रेणी	ध्वनि अधिसीमा (डेसीबल में)	
		दिन	रात
ए–	औद्योगिक प्रक्षेत्र	75	70
बी–	व्यवसायिक प्रक्षेत्र	65	55
सी–	आवासीय प्रक्षेत्र	55	45
डी–	शान्त प्रक्षेत्र	50	40

1. दिन से अभिप्राय है सुबह 6 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
2. रात्रि से अभिप्राय है रात्रि 10 बजे से सुबह 6.00 बजे तक
3. शान्त प्रक्षेत्र से तात्पर्य है अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल आदि से कम से कम 100 मीटर अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा घोषित।

एतद द्वारा राज्य के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रतिमा विसर्जन के दौरान उपयुर्क्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करें।

जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखने हेतु **झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद** को अपना बहुमूल्य सहयोग दें।

ह०/–
(संजय कुमार सुमन)
सदस्य सचिव

Sunil\MS\Page738